अधिष्ठाता	कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा (कृषि विश्वविद्यालय, कोटा) कार्यालय पता : उम्मेदगंज फार्म, पोस्ट बॉक्स न. 7, जी.पी.ओ, नयापुरा, कैथून रोड़, कोटा – 324001	ईमेल: coakota@aukota.org

No. F. 14 (1)/AUK/COAK/Estt-Security e tender/2025/ **Date:**

ई–बोली सूचना–2 / 2025–26

उम्मेदगंज फार्म परिसर कोटा पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की तीनों ईकाइयों यथा कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द एवं यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा पर **सम्पूर्ण फार्म परिसर एवं फसलों आदि की चौकीदारी का कार्य की दर संविदा** हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी / फर्म / इच्छुक व्यक्तियों से ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया के द्वारा ऑन लाइन ई–बोली आमंत्रित की जाती हैं बोली से संबंधित समस्त विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.aukota.org, स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड कर देखा जा सकता हैं। बोली ऑनलाइन माध्यम से http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत / जमा करानी होगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	बोली की अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रूपयों में) 2%	ऑनलाईन बोली फार्म उपलब्ध होने की दिनांक व समय	ऑनलाईन बोली फार्म विक्रय की अंतिम दिनांक व समय	ऑनलाईन बोली फार्म जमा करने की दिनांक व समय	ऑनलाईन बोली फार्म को खोलने की दिनांक व समय	कार्य की अवधि
1.	उम्मेदगंज फार्म परिसर कोटा पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की तीनों ईकाइयों यथा कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द एवं यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा पर सम्पूर्ण फार्म परिसर (चार दीवारी का कुल क्षेत्रफल 608.48 हैक्टर (3803 बीधा) है व परिधि की कुल लम्बाई लगभग 12 किलोमीटर पर दिन व रात में रखवाली / चौकीदारी का कार्य, (आवारा / पालतु पशुओं, जगंली जानवरों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बीज उत्पादन, फसलों में सम्भावित नुकसान की पूर्णतया रोकथाम, विभिन्न खेतों में लगी मोटरों, कृषि उपकरणों / यंत्रों एवं अन्य सामानों की पूर्णतया सुरक्षा हेतु दिन–रात 24 घण्टे की रखवाली / चौकीदारी का जॉब बेसिस कार्य।	15.00 लाख	30,000	04.07.2025 को प्रातः 10:00 बजे से	25.07.2025 को दोपहर 3:00 बजे तक	26.07.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक	26.07.2025 को दोपहर 03:00 बजे तक	एक साल

Vsingh

बोली फॉर्म शुल्क व धरोहर राशि जमा करानें के संबध में विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	पक्ष में देय
1	धरोहर राशि, बोली शुल्क एवं ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क (Managing Director, RISL, Jaipur)	रूपये 30,000+500+500 = 31000	NEFT/ RTGS द्वारा ऑनलाईन	अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटा (DEAN, COLLEGE OF AGRICULTURE, KOTA GENERAL ACCOUNT) के ICICI Bank, Nayapura Branch, Kota के बैंक खाता संख्या– 687801701952 (IFSC Code – ICIC0006878)में RTGS/NEFT द्वारा ऑनलाईन जमा करावें।

नोटः– बोलियाँ ऑनलाईन ही प्रस्तुत करनी होगी।

यदि किसी कारणवश बोली खुलने की दिनांक को अवकाश रहता है या अपरिहार्य कारणों से नहीं खोली जाती है तो अगले दिन बोली खोलने की कार्यवाही की जावेगी। किसी भी बोली को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

ई –टेण्डरिंग के लिए बोली हेतु निर्देश :–

- उक्त बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को इन्टरनेट साईट http//www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन बोली में भाग लेने के डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक बोली में साइन करने हेतु काम आएगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजीटल सर्टिफिकेट सी. सी.ए (C.C.A) द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।
- बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजीटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजीटल साइन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किए जाएगें।
- इलेक्ट्रोनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि बोली प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है।
- कोई भी बोलीदाता, बोलियों को इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
- समस्त बोलीदाता, बोली के सभी प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करें।
- ऑनलाइन बोली भरते समय सम्बन्धित निर्देशों का पालन करने के परिणाम स्वरूप बोली प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

ई–बोली सूचना की विशेष शर्तें :–

- बोलीदाताओं / ठेकेदार को भुगतान ट्रेजरी से बिल पास होने पर दिया जावेगा।
- ठेकेदार को इन्कम टैक्स देने के लिये पैन कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी।
- कुल भुगतान की देय राषि मे से नियमानुसार जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. काटा जावेगा।
- बोली / बोली प्रपत्रों को विष्वविद्यालय की वेबसाइट www.aukota.org या स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड कर देखी जा सकती हैं। बोली / बोली को ऑनलाईन माध्यम से http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत / जमा करानी होगी।

- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 प्रभावी होगी।

सम्पर्क सूत्रः— फार्म इन्चार्ज (1) 635744491 (2) 9001452066 (3) 9602482681

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय,
उम्मेदगंज, कोटा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
2. वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
3. कोषाधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
4. क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा।
5. प्रभारी अधिकारी, यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा।
6. कमेटी—अध्यक्ष / सदस्य / लेखाषाखा / केषियर, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
7. विकास अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
8. श्री सी. बी. मीणा, सहायक आचार्य को भेजकर लेख है कि बोली को विश्वविद्यालय की वेबसाइट, www.aukota.org, sppp.rajasthan.gov.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. समस्त नोटिस बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
10. रक्षित पत्रावली।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय,
उम्मेदगंज, कोटा

तकनीकी बिड फार्म

बोलीदाता फर्म / संस्था का नाम	
बोलीदाता फर्म / संस्था का पता	
बोलीदाता फर्म / संस्था के संपर्क सूत्र	टेलिफोन नंबर– मोबाईल नंबर– ईमेल एड्रेस– वेबसाईट एडेस–
बोलीदाता फर्म / संस्था के अधिकृत हस्ताक्षरी (authorised signatory) का नाम व संपर्क नंबर आधार नम्बर सहित	

बोलीदाता / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम...

फर्म की मोहर

Annexure -I

क. सं.	दस्तावेज का विवरण	फर्म/संस्था द्वारा भरा जानें वाला विवरण/अभ्युक्ति	संलग्न पृष्ठ संख्या
1.	बोली फार्म की कीमत व धरोहर राशि जमा करानें का विवरण		
2.	ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क (RISL fee) का विवरण		
3.	**DECLARATION BY BIDDER**		
4.	तकनीकी शर्ते मय हस्ताक्षर		
5.	प्रपत्र ए. बी. सी एवं डी		
6.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)		
7.	P.F. Registration certificate		
8.	ESI Registration certificate		
9.	आय कर (पैन नम्बर)		
10.	आधार कार्ड नम्बर		
11.	एक वर्ष का चौकीदारी का अनुभव प्रमाण पत्र		
12.	संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र यदि university में कार्य किया है।		

बोलीदाता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.................................

फर्म की मोहर

ई–बोली की शर्तें (तकनीकी बिड)

कार्य का नामः– उम्मेदगंज फार्म परिसर कोटा पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की तीनों ईकाइयों यथा कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द एवं यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा पर सम्पूर्ण फार्म परिसर एवं फसलों आदि की चौकीदारी का कार्य।

1. उन्ही फर्मो की तकनीकी बिड खोली जाएगी, जिनका बिड सिक्यूरिटी फीस, फार्म फीस तथा RISL प्रोसेसिंग फीस का विवरण बोली फार्म भरनें के अंतिम दिन व समय से पूर्व प्राप्त हो जाएगा।
2. बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कमेटी को होगा ।
3. शर्तो में किसी भी प्रकार की कमी व बढोतरी उपस्थित कमेटी द्वारा की जा सकती है ।
4. कार्य अधूरा छोड़ने पर किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं सुरक्षा राशि जप्त कर ली जायेगी।
5. कार्यरत व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना व मारपीट आदि घटना की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
6. कार्य सन्तोषजनक नहीं होने की स्थिति में ठेकेदार का कार्य ठेका निरस्त किया जा सकता है और उसका हर्जाना वसूला जावेगा।
7. कुल भुगतान की देय राशि में से नियमानुसार **जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस.** काटा जावेगा।
8. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र न्यायालय कोटा होगा।
9. ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को चौकीदारी कार्य के अनुभवी व्यक्ति होने चाहिए।
10. बोली दाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
11. **फर्म के पास एक वर्ष का चौकीदारी का अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।**
12. सफल बोलीदाता जिसकी दरें स्वीकृत की जावेगी, को 5 प्रतिशत प्रतिभूति (Performance security 5%) राशि जमा कराना आवश्यक होगा जिसमें जमा की गई 2 प्रतिशत धरोहर राशि समायोजित कर ली जायेगी तथा जमा की गई राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
13. प्रथम न्यूनतम दर वाली पार्टी की धरोहर राशि कार्य पूर्ण होने तक कार्यालय में जमा रहेगी तथा द्वितीय पार्टी की धरोहर राशि कार्य प्रारम्भ होने तक कार्यालय में जमा रहेगी।
14. कार्य अवधि कार्य आदेश प्राप्ति से एक साल तक होगी एवं कार्य संतोषप्रद होने पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
15. निविदा, खोलने की दिनांक से कम से कम 90 दिवसों तक स्वीकृती हेतु मान्य रहेगी। यदि कोई निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
16. निविदादाता को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक श्रमिकों का भुगतान करना होगा चाहे बिलों का भुगतान प्राप्त किया हो या नहीं। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम दर से भुगतान करना होगा।
17. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश की तारीख से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी एवं आवश्यकतानुसार अवधि घटाई बढ़ाई भी जा सकती है।
18. किसी भी नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) व 55 साल से ज्यादा आयु एवं कार्य करने में अक्षम व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जा सकेगा।

VSingh

19. ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति/श्रमिक द्वारा संस्था को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा एवं नुकसान की वसूली करने का पूर्ण अधिकार **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा** को होगा।

20. उम्मेदगंज फार्म परिसर कोटा (कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की तीनों ईकाइयों कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द एवं यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा) का **कुल क्षेत्रफल 608.48 हैक्टर (3803 बीधा) है जिसकी कुल परिधि की लम्बाई लगभग 12.00 किलोमीटर है (नक्शा संलग्न)।**

21. उम्मेदगंज फार्म परिसर कोटा पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की तीनों ईकाइयों कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द एवं यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा के फिल्डों में स्थित पम्प व टयूबवैल, मोटर, मोटर स्टार्टर, सिंचाई के पाईप व अन्य सभी सामानों की देख–रेख व चौकीदारी का कार्य ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को करना होगा।

22. किसी भी प्रकार के कार्य संबंधी विवाद की स्थिति में **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा** को निर्णय लेने का पूरा–पूरा अधिकार होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।

23. निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को सम्बन्धित ब्लॉक कृषि पर्यवेक्षक/फार्म इन्चार्ज/फार्म मेनेजर के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य सम्पादित करना होगा। श्रमिकों का व्यवहार एवं कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा।

24. निविदादाता को अपना एवं अपने श्रमिकों/चौकीदारों के आई.डी. प्रूफ व मोबाईल नम्बर **कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा** के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

25. विभिन्न कार्यो को उनकी प्राथमिकता के अनुसार सम्बंधित ईकाई के फार्म इन्चार्ज/फार्म मैनेजर/सम्बन्धित कर्मचारी एवं अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा/प्रभारी अधिकरी, यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा/क्षेत्रिय निदेशक अनुसंधान, कोटा तय करेगें और उसी आधार पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करा कर कार्य का निष्पादन कराया जायेगा। ठेकेदार को रात्रि में चौकीदारी केवल पुरूष श्रमिकों से ही करवाना होगा।

26. यदि निविदादाता (ठेकेदार) द्वारा समय पर जॉव बेसिस कार्य नही किया जाता है तो कार्य की आवश्यकता की आपातकालीन परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर उस समय की दर से श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा** उसकी अमानत राशि में से पैनल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने व निविदा शर्तो को न मानने पर ठेकेदार को भविष्य के लिए **"ब्लैक लिस्टेड"** कर दिया जायेगा और भविष्य में निविदा प्रकिया में भाग लेने से वंचित किया जायेगा।

27. कार्य के दौरान नुकसान की भरपाई ठेकेदार से होगी, चौकीदारी कार्य के लिए **अनुभवी निविदादाताओं को वरीयता दी जायेगी।**

28. यदि निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में ही छोड़ता है तो उसके द्वारा जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

29. किसी भी प्रकार के कार्य एवं अन्य विवाद की स्थिति में बिना किसी नोटिस पर ठेकेदार का अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

30. आकस्मिक दुर्घटना की दशा में अथवा लापरवाही द्वारा कार्य करने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियां एवं उत्तरदायित्व निविदादाता की ही होगी। कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा एवं यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

31. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा** को होगा।

VSingh

32. किसी भी शर्त का पूर्णतया पालन न होने पर निविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, ऐसी स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा** को होगा व दूसरी न्यूनतम निविदा को अनुमोदित करने का अधिकारी होगा।

33. बोली में भाग लेने वाला संवेदक राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

34. बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।

35. किसी भी विवाद की स्थिति में क्रय समिति/विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

36. बोली स्वीकृत होने पर लिखित में आदेश प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

37. फार्म परिसर में अवैध व्यक्ति एवं पशुओं का प्रवेश पूर्णतया रोकना होगा।

38. **फार्म परिसर बाउण्ड्री वाल टूटने पर (प्राकृतिक आपदाओं के अलावा) 15 दिवस में पुनः निविदादाता को रिपेयर करना होगा। रिपेरिंग नहीं करने पर बिल का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।**

39. फार्म परिसर से किसी भी प्रकार के सामान के चोरी होने की स्थिति में 15 दिवस में निविदादता (ठेकेदार को) भरपाई करनी होगी उसके बाद ही बिल का भुगतान किया जावेगा।

40. **पूर्व में फार्म पर कार्य अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदार का टेण्डर पुनः (दुबारा) स्वीकार नहीं किया जावेगा। इस हेतु उसे पूर्व का संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

41. **कार्य करने के पहले दिन से ही सभी वस्तुएं/मशीनरी संभालनी होगी, ऐसा नहीं करने पर सभाली हुई मानी जावेगी। अनुबन्ध के समय सभी वस्तुए/मशीनरी/वाउन्ड्रीवाल की स्थिति आदि की लिस्ट दी जावेगी जिस पर सफल निविदाकर्मी के हस्ताक्षर लिए जावेगा। इसकी आकस्मिक जॉच की जावेगी एवं कमी पाई जाने पर जुर्माना (वस्तु मूल्य के आधार पर किया जावेगा)**

42. उक्त कार्य का अनुमानित विवरण निम्न प्रकार हैः—

43. सफल बोलीदाता जिसकी दरें स्वीकृत की जावेगी, को 5 प्रतिशत प्रतिभूति (Performance

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित माह	ठेकेदार की दर रू. (सभी कर सहित)	दर रूपये प्रति माह
1	2	3	4	5
1	उम्मेदगंज फार्म परिसर कोटा पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की तीनों ईकाइयों यथा कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द एवं यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा पर सम्पूर्ण फार्म परिसर (चार दीवारी का कुल क्षेत्रफल 608.48 हैक्टर (3803 बीघा) है व परिधि की कुल लम्बाई लगभग 12.00 किलोमीटर) पर दिन व रात में रखवाली/चौकीदारी का कार्य, (आवारा/पालतु पशुओं, जगंली जानवरों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बीज उत्पादन, फसलो में सम्भावित नुकसान की पूर्णतया रोकथाम, विभिन्न खेतों में लगी मोटरों, कृषि उपकरणों/यंत्रों एवं अन्य सामानों की पूर्णतया सुरक्षा हेतु दिन–रात 24 घण्टे की रखवाली/चौकीदारी का जॉब बेसिस कार्य।	**12 माह लगभग**	**ऑनलाईन भरनी है।**	**ऑनलाईन भरनी है।**

security 5 %) राशि **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा** के कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।

44. बोली स्वीकृत होने वाले ठेकेदार को 500 रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
45. किसी भी राशि के पेटे बैंकर्स चैक, डी.डी. व नगद स्वीकार नहीं होगा।
46. बोलीदाता/ठेकेदार को भुगतान ट्रेजरी से बिल पास होने पर दिया जायेगा।
47. किसी भी प्रकार से तकनीकी बोली में दरें नहीं भरी जावे।
48. बोली में भाग लेने वाला संवेदक राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
49. बोली के बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति का होगा।
50. किसी भी विवाद की स्थिति में क्रय समिति/विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
51. बोली स्वीकृत होने पर लिखित में आदेश प्राप्ति के दो दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
52. इस निविदा से संम्बन्धित पत्रावली, जानकारी आदि हेतु अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा के कार्यालय से ही प्राप्त की जा सकेगी।
53. लगाये गये सुरक्षा प्रहरी प्र्याप्त मात्रा में रहने चाहिए यदि अपर्याप्त होने की दशा में विल का भुगतान नही किया जावेगा।
54. ऑफिस सामान, इलेक्ट्रिक समान, चल/अचल सम्पत्ति के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा इसके अलावा सुरक्षा संवंधी जो भी दिशा निर्देश दिए जायेंगे उनकी पालना करनी पडेगी।
55. किसी भी तरह के अपराधिक मुकदमा सुरक्षा प्रहरी पर नही होना चाहिए।
56. **दो समान दर की निविदा प्राप्त होने पर लोटरी सिस्टम द्वारा कार्य दिया जावेगा।** यदि बीच में कोई कार्य छोडता है तो दूसरे को पूरा कार्य दिया जावेगा।
57. **सुरक्षा में लगे श्रमिकों को युनिफॉर्म में रहना होगा तथा कार्य स्थल पर एक सीटी, डंडा, स्पोर्टस् शूज, टॉर्च, इत्यादि सहित सदैव तत्पर रहना होगा साथ ही फर्म द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र (ID Card) हमेशा धारण कर रहना होगा। इन सबका समस्त व्यय संवेदक वहन करेगा।**

उम्मेदगंज फार्म परिसर कोटा पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय की तीनों इकाइयों यथा कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र एवं यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा पर चौकीदारी/रखवाली का जॉब बेसिस कार्य निम्न होगे :–

- फार्म परिसर की 24 घण्टे (दिन रात) रखवाली/चौकीदारी करनी होगी।
- फार्म परिसर की कुल क्षेत्रफल 608.48 हैक्टर (3803 बीधा) एवं जिसकी चारदीवारी की कुल लम्बाई (परिमाप) लगभग 12 किलोमीटर की सम्पूर्ण सुरक्षा।
- उक्त क्षेत्र सहित, चल, अचल परिसम्पत्तियों की आवारा एवं जंगली जानवर, पालतु पशु,अनाधिकृत व्यक्तियों से दिन रात सुरक्षा एवं रखवाली।

- उक्त क्षेत्र में चल, अचल सम्पत्ति, आदि को यदि किसी भी तरह, की क्षति, नुकसान, चोरी आदि होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा उनका पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं जिस भी तरह से भरपाई करना पडेगा।
- यदि किसी भी तरह की कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हो तो निविदा–दाता द्वारा संम्पूर्ण कार्यवाही की जावेगी तथा सुरक्षा एवं रखवाली को बदस्तूर अंजाम दिया जावेगा।
- हर समय पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा प्रहरी की तैनाती निविदादाता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
- किसी भी समय किसी भी तरह का अनुसंधान, बीज उत्पादन, अध्यापन एवं सम्बन्धित कार्यों में क्षति, व्यवधान को रोकना एवं भरपाई निविदादाता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी
- किसी भी प्रकार की क्षति की क्षतिपूर्ति बताये गये समय में पूर्ण करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय,
उम्मेदगंज, कोटा

मैंने/हमने बोली से संबंधित समस्त नियमों एवं शर्तो, प्रक्रिया आदि का अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम इनसे पूर्णतः सहमत व पालन करने हेतु बाध्य हूँ/हैं।

संवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर मय
सील तिथि एवं पूर्ण पता

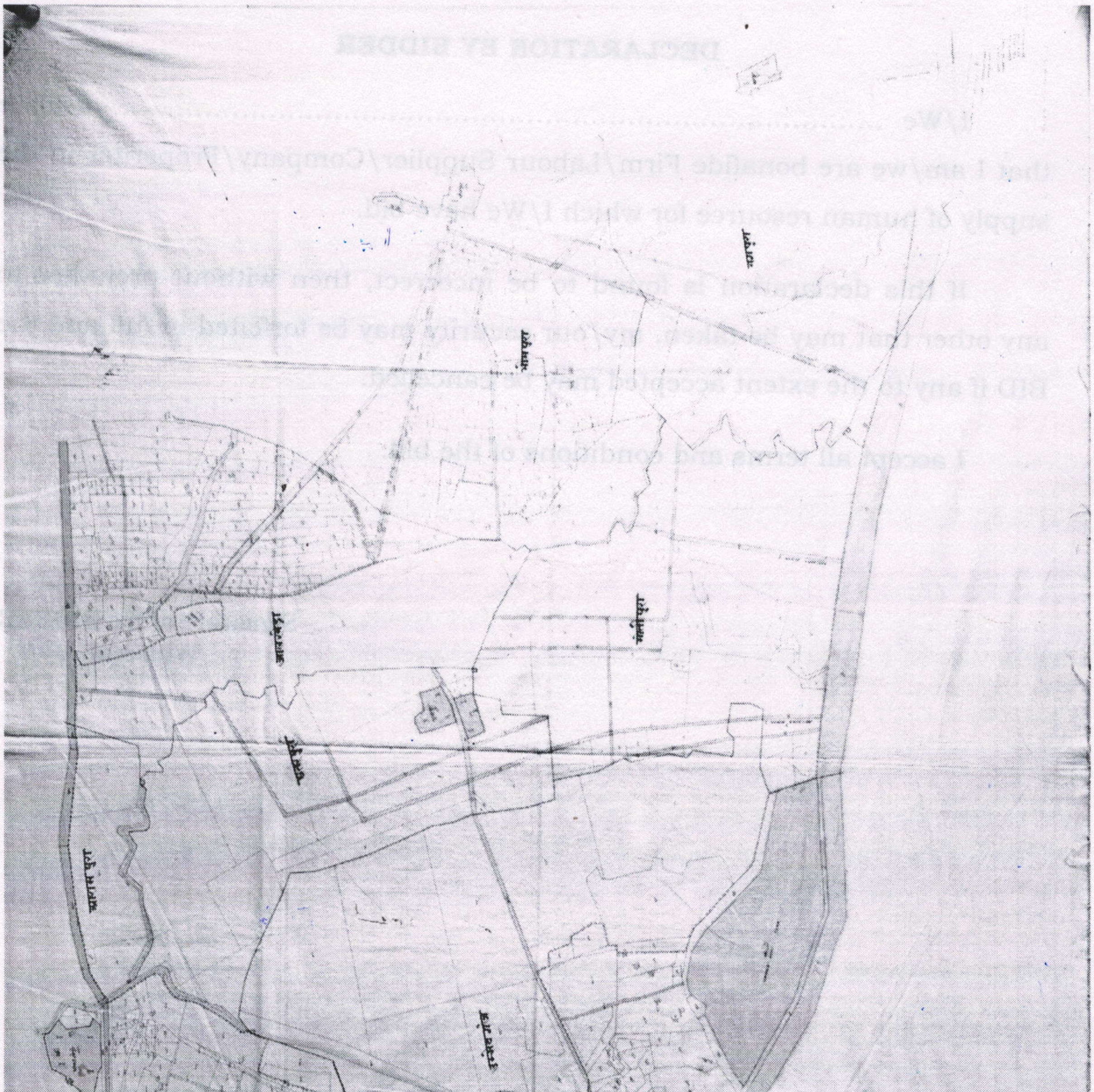

Map of Ummedganj Farm

DECLARATION BY BIDDER

I/We .... declare that I am/we are bonafide Firm/Labour Supplier/Company/Properiter in the supply of human resource for which I/We have bid.

If this declaration is found to be incorrect, then without prejudice to any other that may be taken, my/our security may be forfeited in full and the BID if any to the extent accepted may be cancelled.

I accept all terms and conditions of the bid.

Signature of the BIDDER
With seal

अधिष्ठाता	कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा (कृषि विश्वविद्यालय, कोटा) कार्यालय पता : उम्मेदगंज फार्म, पोस्ट बॉक्स नं. 7, जी.पी.ओ, नयापुरा, कैथून रोड़, कोटा – 324001	ईमेल: coakota@aukota.org
No. F. 14 (1)/AUK/COAK/Estt-Security e tender/2025/		Date:

वित्तीय बिड प्रारूप
ई–बोली (ऑनलाईन भरने हेतु)

ई–बोली सूचना संख्या– 2/2025–26

कार्य का नाम :– उम्मेदगंज फार्म परिसर कोटा पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की तीनों ईकाइयों यथा कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द एवं यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा पर सम्पूर्ण फार्म परिसर एवं फसलों आदि की चौकीदारी का कार्य।

क्र. सं.	कार्य विवरण	इकाई का विवरण	ईकाई	ठेकेदार की दर रूपये प्रति माह (सभी कर सहित)
1	2	3	4	5
1.	उम्मेदगंज फार्म परिसर कोटा पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की तीनों ईकाइयों यथा कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द एवं यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा पर सम्पूर्ण फार्म परिसर (चार दीवारी का कुल क्षेत्रफल 608.48 हैक्टर (3803 बीधा) है व परिधि की कुल लम्बाई लगभग 12.00 किलोमीटर) पर दिन व रात में रखवाली/चौकीदारी का कार्य, (आवारा/पालतु पशुओं, जगंली जानवरों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बीज उत्पादन, फसलों में सम्भावित नुकसान की पूर्णतया रोकथाम, विभिन्न खेतों में लगी मोटरों, कृषि उपकरणों/यंत्रों एवं अन्य सामानों की पूर्णतया सुरक्षा हेतु दिन–रात 24 घण्टे की रखवाली/चौकीदारी का जॉब बेसिस कार्य।	माह	1	इसी कॉलम में दर ऑनलाईन भरनी है।

Singh

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय,
उम्मेदगंज, कोटा

संवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर मय
सील तिथि एवं पूर्ण पता

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated.............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

Singh

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Signature of bidder

Place: Name :

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]
Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ……..of……………
Before the ………………………(First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address

2. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
....
....
.......................(Supported by an affidavit)

7. Prayer:
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of

procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.